

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/रा.से.पृ./2019/
दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.20(1) वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.01.92 एफ.16(2) वित्त/नियम/98 दिनांक 17.02.98 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिकोण रखते हुए स्व. श्री अरूण कुमार, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैतारण, पाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 13.02.1985 है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 13.02.2003 से 5000-8000 चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 29/02/19

क्रमांक - ई-18/एम/रा.से.पृ./2019/1645

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैतारण, पाली।
3. स्व. श्री अरूण कुमार, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके परिवारजन को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर